सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र स0 79/2018

पुत्र मीजा जाति गूजर निवासी जाल का खेडा ग्रा.प. जूनिया तह. केकडी जिला अजमेर (राज.)

---प्रार्थी

बनाम

सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी

----अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

निर्णय दिनांक 9.5.2018

पत्रावली आज दिनांक लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 केम्प जूनियां में पेश हुई। वादी प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित । उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेशकर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके **ग्राम जाल का खेडा तहसील केकडी की के जमाबन्दी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 121 में दर्ज में मेरे पिता का नाम बीजा के स्थान पर मीजा दर्ज किया जावे का निवेदन किया है।**

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया जावें । पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट में प्रार्थीया का नाम ग्राम जाल का खेडा जमाबन्दी संवत 2070–2073 में खाता स. 121 में प्रहलाद पुत्र बीजा दर्ज है। प्रार्थी का आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, बयान सावल पुत्र देवीलाल गूजर, तस्दीक राशनकार्ड संरपच के अनुसार प्रार्थी प्रहलाद के पिता का नाम बीजा के स्थान पर मीजा किया जाने की सहमति दी है। साथ ही भू. अभि.निरीक्षक रिपोर्ट में भी ग्राम जाल का खेडा में खाता संख्या 121 में प्रार्थी प्रहलाद पुत्र बीजा के स्थान पर प्रहलाद पुत्र मीजा की घोषणा किया जाना उचित बताया है।

अतः प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया साथ ही तहसीलदार केकडी भू.अभि.निरी. व पटवारी हल्का जूनियां की रिपोर्ट की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम जाल का खेडा में खाता संख्या **121 में दर्ज में ग्राम जाल का खेडा में प्रार्थी प्रहलाद पुत्र बीजा के स्थान पर प्रहलाद पुत्र मीजा** का अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि किसी न्यायालय में कोई आपारधिक वाद या जांच **प्रहलाद पुत्र बीजा** के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थी **प्रहलाद पुत्र बीजा** के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिये भी **प्रहलाद पुत्र बीजा** नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार **केकडी** को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 9.5.2018 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प जूनियां में मज में आम में सुनाया गया व पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे एंव उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी